

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 892]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 नवम्बर 2025 — अग्रहायण 5, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/3262/2025-COMTAX SECTION(90).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2019 में और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, —

अनुसूची—एक एवं अनुसूची—दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :-

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

मुख्यालय हेतु—

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राज्य कर अपर आयुक्त	03	प्रथम श्रेणी	लेवल-15	
2.	राज्य कर संयुक्त आयुक्त	03	प्रथम श्रेणी	लेवल-14	
3.	राज्य कर उपायुक्त	06	प्रथम श्रेणी	लेवल-13	
4.	राज्य कर सहायक आयुक्त	06	द्वितीय श्रेणी	लेवल-12	
5.	प्रोग्रामर	05	द्वितीय श्रेणी	लेवल-12	
6.	राज्य कर अधिकारी	12	द्वितीय श्रेणी	लेवल-9	

मैदानी कार्यालय हेतु—

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राज्य कर विशेष आयुक्त, बिलासपुर	01	प्रथम श्रेणी	लेवल-16	
2.	राज्य कर संयुक्त आयुक्त	13	प्रथम श्रेणी	लेवल-14	
3.	राज्य कर उपायुक्त	29	प्रथम श्रेणी	लेवल-13	
4.	राज्य कर सहायक आयुक्त	72	द्वितीय श्रेणी	लेवल-12	
5.	राज्य कर अधिकारी	145	द्वितीय श्रेणी	लेवल-9	

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियाँ
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1)(क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1)(ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(1)(ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	राज्य कर विशेष आयुक्त	01	—	100%	—	
2.	राज्य कर अपर आयुक्त	03	—	100%	—	
3.	राज्य कर संयुक्त आयुक्त	16	—	100%	—	
4.	राज्य कर उपायुक्त	35	—	100%	—	
5.	राज्य कर सहायक आयुक्त	78	50%	50%	—	
6.	प्रोग्रामर	05	—	100%	—	
7.	राज्य कर अधिकारी	157	—	100%	—	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 नवम्बर 2025

क्रमांक ESTB/3262/2025-COMTAX SECTION(90).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ESTB/3262/2025-COMTAX SECTION (90), दिनांक 21-11-2025 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 21st November 2025

NOTIFICATION

No. ESTB/3262/2025-COMTAX SECTION(90).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Commercial Tax (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2019 namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

For Schedule-I and Schedule-II, the following Schedules shall be substituted, namely :-

SCHEDULE -I
(See rule 5)

For Headquarter-

S. No.	Name of the posts in service	Number of Posts	Classification	Pay Matrix	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Additional Commissioner of State Tax	03	Class-I	Level-15	
2.	Joint Commissioner of State Tax	03	Class-I	Level-14	
3.	Deputy Commissioner of State Tax	06	Class-I	Level-13	
4.	Assistant Commissioner of State Tax	06	Class-II	Level-12	
5.	Programmer	05	Class-II	Level-12	
6.	Officer of State Tax	12	Class-II	Level-9	

For Field Office -

S. No.	Name of the posts in service	Number of Posts	Classification	Pay Matrix	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Special Commissioner of State Tax, Bilaspur	01	Class-I	Level-16	
2.	Joint Commissioner of State Tax	13	Class-I	Level-14	
3.	Deputy Commissioner of State Tax	29	Class-I	Level-13	
4.	Assistant Commissioner of State Tax	72	Class-II	Level-12	
5.	Officer of State Tax	145	Class-II	Level-9	

SCHEDULE- II
(See rule 6)

S. No.	Name of the posts/ service	Total Number of duty Posts	Percentage of the number of posts to be filled			Remarks
			By Direct Recruit- - ment (See Rule 6 (1)(a))	By Promotio n (See Rule 6 (1)(b))	By transfer /deputatio n of persons from other services (See Rule 6 (1)(c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Special Commissioner of State Tax	01	-	100%	-	
2.	Additional Commissioner of State Tax	03	-	100%	-	
3.	Joint Commissioner of State Tax	16	-	100%	-	
4.	Deputy Commissioner of State Tax	35	-	100%	-	
5.	Assistant Commissioner of State Tax	78	50%	50%	-	
6.	Programmer	05	-	100%	-	
7.	Officer of State Tax	157	-	100%	-	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.